

पत्र संख्या-13/विविध-01-04/2014सा.....52/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डी.एस. गंगवार,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना ।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :-

पटना-15, दिनांक 10 फरवरी, 2014
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के काण्डों में वर्ष-2006 से 2013 तक सजायापता अभियुक्तों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के पत्रांक-707/अनु., दिनांक 05.02.2014 द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के कुल-50 काण्डों में वर्ष-2006 से 2013 तक सजायापता अभियुक्तों की सूची उपलब्ध करायी गयी है जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के वेवसाईट पर अपलोड कर दिया गया है । अनुरोध है कि विभाग की वेवसाईट से उक्त सूची डाउनलोड कर सजायापता सरकारी सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें ।

ज्ञातव्य है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-20 के अनुसार न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर सरकारी सेवक को प्रस्तावित शास्ति पर अभ्यावेदन का अवसर देते हुए दंडित किया जा सकता है ।
अनु.-यथोक्त (कुल पृष्ठ-सात) ।

विश्वासराजन,

सरकार के प्रधान सचिव ।

पत्रांक 707 / अ 30
बिहार सरकार
निगरानी विभाग
(अन्वेषण ब्यूरो)
6, सर्कुलर रोड, पटना।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो,
बिहार, पटना ।

सेवा में

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक- 03 / 02 / 2014.

विषय:- सजायाफ्ता व्यक्तियों की सूची का प्रेषण।

महाशय,

निदेशानुसार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के कांडों में वर्ष 2006 से 2013 तक सजायाफ्ता व्यक्तियों की सूची संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया अवलोकनार्थ।

6/2/14

विश्वासभारुनि
पुलिस अधीक्षक

वर्ष 2006 से 2013 तक निगरानी कांडों में सजायापता व्यक्तियों की सूची:-

1	30/91	श्री कैलाश प्रसाद सिंह, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया।	दो वर्ष एवं 5000/-रु0 जुर्माना की सजा	23.02.06
2	18/83	श्री अर्जुन सिंह, प्राइवेट	सजा	15.05.07
3	23/86	श्री मुद्दीका राय प्रभाकर, प्रधानाध्यापक, शिक्षा विभाग, मध्य विद्यालय, बेलाउर भोजपुर।	एक वर्ष एवं 1000/-रु0 जुर्माना	26.06.07
4	33/96	श्री रामेश्वर प्रसाद, सहायक श्रमायुक्त, श्रम एवं नियोजन विभाग, पटना	दो वर्ष	31.05.07
5	01/97	श्री आनन्द बिहारी श्रीवास्तव, सहायक, श्रम एवं नियोजन विभाग, पटना	सजा	31.05.07
6	01/86	1)श्री विद्यानंद शर्मा, प्रवर कोटि लिपिक, राष्ट्रीय उच्च पथ कार्यालय अंचल, पटना 2)शारदा प्रसाद	एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/-रु0 जुर्माना	29.05.08
7	14/89	श्री अवधेश प्रसाद, लिपिक अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय, नवादा।	एक वर्ष एवं 500/-रु0 जुर्माना	20.08.08
8	59(9)78	श्री महेन्द्र कुमार मस्ताना, पर्यवेक्षक, अनाज प्रशोध उद्योग प्रभारी, खादी ग्रामोद्योग कार्यालय, गया।	एक वर्ष	16.09.08
9	42/90	श्री कुमुद रंजन तिवारी, प्रशाखा पदाधिकारी, पशुपालन विभाग, पटना।	एक वर्ष एवं 500/-रु0 जुर्माना	22.10.08
10	10/83	उर्मिला यादव, पत्नी श्री सुदीन प्रसाद यादव, कनीय अभियंता, मुंगेर।	तीन वर्ष एवं 5000/- जुर्माना	24.11.08
11	35/06	श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, लिपिक वाणिज्य कर कार्यालय, दक्षिणी अंचल कंकड़बाग, पटना।	तीन एवं दो वर्ष की सजा एवं 4000/-रु0 जुर्माना	24 11.08
12	01/96	श्री रामजी सिंह, प्रधान लिपिक, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय, पटना	एक वर्ष एवं 500/-रु0 जुर्माना	29.11.08

13	20/90	श्री दामोदर मिश्र, महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता, कांटी पावर स्टेशन कांटी।	तीन वर्ष एवं 10000/-रु0 जुर्माना	02.12.08
14	45/91	श्री पी0सी0 श्रीवास्तव, थाना प्रभारी चौथम, खगड़िया।	पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं प्रत्येक धारा के लिए 2000/- जुर्माना	22.01.09
15	43/88	श्री बालकेश्वर प्रसाद, सहायक अवर निरीक्षक, धनरूआ थाना, पटना।	सजा	21.02.09
16	33/93	श्री राम सुरेश तिवारी, तत्कालीन कनीय अभियंता, सम्प्रति सहायक अभियंता क्षेत्र पर्यवेक्षण प्रमंडल, अग्रिम योजना पथ निर्माण विभाग, आरा।	तीन वर्ष एवं 10000/-रु0 जुर्माना	29.06.09
17	100/06	श्री किशुन दास, प्रभारी प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय पिरपैती, भागलपुर।	तीन वर्ष एवं 5000/-रु0 जुर्माना	31.03.10
18	47/91	श्री जितेन्द्र मोहन, कार्यालय सहायक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।	दो वर्ष एवं 5000/- जुर्माना	07.05.10
19	14/92	श्री विश्वनाथ सिंह, लिपिक जिला भविष्य निधि कार्यालय, भागलपुर।	एक वर्ष एवं 6 महिना	31.05.10
20	42/91	श्री पुनेश्वर राय, सहायक कारापाल, मंडल कारा पूर्णिया।	धारा-7/13 में 6 महिना एवं 13(1)(डी) में 1 वर्ष	15.06.10

21	39/08	<p>1) श्री अशोक कुमार, वर्तमान जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, गया।</p> <p>2) श्री नागेन्द्र भूषण, वरीय सहायक प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, गया।</p> <p>3) श्री दिनेश प्रसाद सिंह, उप प्रबंधक।</p> <p>4) श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता, लेखापाल।</p> <p>5) श्री राजदेव सिंह, लेखा कर्मी।</p> <p>6) श्री कौशलेन्द्र कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मोहरा।</p> <p>7) श्री सतीश कुमार सिन्हा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अतरी।</p> <p>8) श्री हरि चरण मिश्र, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बोधगया।</p> <p>9) डा० अली ईमाम, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मखदुमपुर।</p>	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना-44000/-रु०	05.07.10
22	31/79	श्री शालीग्राम शर्मा, थानाप्रभारी चौसा, जिला सहरसा।	एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	27.08.10
23	10/08	श्री राज कुमार महतो, सहायक गोदाम प्रबंधक, गुरनिया बाँका।	धारा-420 में तीन वर्ष एवं 120 में एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा	16.09.10
24	01/83	श्री रविभूषण प्रसाद एवं अन्य, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल दरभंगा।	तीन वर्ष की सजा एवं जुर्माना की सजा	24.09.10

25	29/86	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री नरेन्द्र कु0 शर्मा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखिसराय। 2. श्री शिवनंदन सिंह, कनीय अभियंता। 3. श्री रामप्रीत राय, सहायक अभियंता। N.R.E.P. 4. श्री गोपाल कृष्ण, कार्यवाहक सहायक। 5. श्री शंकर पासवान, अभिकर्ता। 6. राजेन्द्र झा(नेपाल झा) ठिकेदार। 7. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रशाखा कृषि पदाधिकारी, लखिसराय। 	- सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21.12.10
26	30/86	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री नरेन्द्र कु0 शर्मा 2. श्री शिवनंदन सिंह 3. श्री रामप्रीत राय 4. श्री गोपाल कृष्ण 5. श्री लक्ष्मी शंकर रावत, हल्का कर्मचारी। 6. श्री रामस्वरूप यादव, अभिकर्ता। 	- सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21.12.10
27	36/87	श्री शैलेन्द्र मोहन दास, तत्कालीन कनीय अभियंता, नई बेली रोड शाखा, पटना	तीन वर्ष की सश्रम कारावास एवं 10,000/-रु0 जुर्माना।	06.02.11
28	33/07	श्री ओम प्रकाश, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, कैमूर, भभूआ।	धारा-7 में एक वर्ष एवं धारा-13(1) (डी) में एक वर्ष छः माह का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक धारा में 5000-5000 रु0 का जुर्माना।	24.02.11
29	26/92	<ol style="list-style-type: none"> 1. डा0 राम कुमार हिमांशु चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय अस्पताल, कोईलवर, जिला भोजपुर। 2. श्री रघुनाथ सिंह, कम्पाउंडर, उपरोक्त। 3. बिल्दू सिंह, ड्रैसर उपरोक्त। 	प्रत्येक को दो वर्ष एवं एक वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रु0 का जुर्माना	26.03.11
30	71/07	श्री शिवराज कुमार, सहायक पटना क्षेत्रीय विकास पदाधिकार, पटना।	एक वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रु0 का जुर्माना	28.03.11

31	17/87	1) पारसनाथ शर्मा, कनीय अभियंता, छौरादान, रक्सौल मोतिहारी। 2) दिगविजय सिंह, सहायक अभियंता, रक्सौल मोतिहारी	दोनों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में क्रमशः 10 वर्ष, 07 वर्ष, 05 वर्ष, 07 वर्ष का कारावास एवं क्रमशः रु0 50,000/-, रु0 50,000/- रु0 25,000/- एवं रु0 25,000/- का जुर्माना।	07.05.11
32	122/09	श्री बद्री ठाकुर, मुखिया, ग्राम पंचायत राज कर्णपुर, सुपौल।	विभिन्न धाराओं में क्रमशः 02 वर्ष एवं एक वर्ष छः महिना तथा 5000-5000/-रु0 का जुर्माना	03.05.11
33	32/90	श्री विरेन्द्र मोहन प्रसाद, बड़ाबाबु, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट शाखा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।	एक वर्ष सश्रम कारावास एवं दो सौ रु0 का जुर्माना	28.05.11
34	56/06	संयुक्ता कुमारी, तत्का0 लिपिक, अधिक्षण अभियंता कार्या लोस्वाअभि, गया।	विभिन्न धाराओं में एक-एक वर्ष एवं 2000-2000/-रु0 कुल 4000/-रु0 का जुर्माना की सजा सुनाई गई।	17.06.11
35	02/91	1) गौरी शंकर सिंह, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर। 2) जी0 पी0 सिन्हा, मोटरयान निरीक्षक, बिहारशरिफ। 3) अरुण कुमार, सहायक जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर। 4) राजेन्द्र प्रसाद यादव	धारा-120बी/420 एवं भ्र0नि0अधि0 की धाराओं में एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई।	30.06.11
36	07/91	डा0 मो0 अफाक, देशी चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर।	1.5 वर्ष की सजा एवं जुर्माना ।	04.11.11
37	23/08	सैयद गुलाम फरीद, पुलिस अवर निरीक्षक, बाँका थाना जिला बाँका।	1.5 वर्ष की सजा एवं 5,000/- रु0 जुर्माना	10.11.11
38	06/04	1. श्री पिताम्बर राय, वनरक्षी। 2. श्री रौदी भेरियर, वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, खगड़िया।	1-1 वर्ष का सश्रम कारावास	23.04.12
39	91/06	श्री गयानन्द सिंह, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, गोगरी, खगड़िया।	3 वर्ष का सश्रम कारावास 7000/-रु0 जुर्माना	05.07.12

40	32/86	<p>1. श्री वेद प्रकाश, तत्कालीन अंचलाधिकारी, गरखा प्रखंड, सारण।</p> <p>2. श्री कालीचरण गुप्ता, कर्मचारी गरखा अंचल, सारण।</p> <p>3. श्री अखिलेश्वर प्रसाद, उप मुखिया।</p> <p>4. श्री शंभु नाथ सिंह, कर्मचारी गरखा अंचल, सारण।</p> <p>5. श्री बबन सिंह, ग्राम पंचायत राज, रामपुर।</p> <p>6. श्री खुर्शीद हैदर, सर्किल इन्सपेक्टर, गरखा अंचल, सारण।</p> <p>7. श्री गोरख सिंह, मुखिया, ग्राम पंचायत राज, गरखा, सारण।</p>	सभी अभियुक्तों को 5 साल की सजा ।	12.11.12
41	05/08	श्री रामवचन सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड फलका, कटिहार।	धारा 7 में 1 वर्ष कारावास 3,000/-रु0 जुर्माना 13(1)(डी) में 1 वर्ष कारावास 3,000/-रु0 जुर्माना	11.12.12
42	13/06	डा० विनोद कुमार वर्मा, त० प्रभारी चिकित्सा पदा०, प्रा०स्वा०के०, काको, जहानाबाद।	2 वर्ष एवं 1.5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000/-रु0 जुर्माना	07.02.13

43	50/10	1)अवध शरण सिंह, तत्कालीन मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा 2)भोला नाथ पुरण, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णिया 3)सुधीर कुमार उर्फ सुधीर प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णिया 4)त्रिभुवन प्रसाद सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल किशनगंज 5)सीतापति शरण, सहायक अभि० 6)त्रिलोकेश्वर प्रसाद उर्फ मिलोकेश्वर प्रसाद, कनीय अभि० 7)शेखर विश्वास, कनीय अभि०	तीन-तीन वर्ष सजा	26.02.13
44	41/08	हीतलाल दास, पु०अ०नि०, थाना परस विगहा, जिला-जहानाबाद, गृह आरक्षी	पटना ट्रेप कोर्ट द्वारा 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000/-रु० जुर्माना	21.03.13
45	48/92	1)चन्द्रशेखर सिंह 2)उमा शंकर यादव 3)मनोहर प्रसाद गुप्ता 4)वागेश्वरी प्रसाद सिंह 5)उमेश प्रसाद सिंह	पटना-II, कोर्ट द्वारा प्रत्येक को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000/-रु० जुर्माना	30.03.13
46	10/92	वैद्यनाथ साह, अवर सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा	धारा 7 में एक वर्ष सजा 10,000/-रु० जुर्माना धारा 13(1)(डी)/13(2) में तीन वर्ष सजा 10,000/-रु० जुर्माना	22.04.13
47	72/07	अमोद कुमार झा, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, अमौर ब्लॉक, जिला-पूर्णिया।	दो वर्ष की सजा 5,000/-रु० जुर्माना	03.05.13
48	26/94	नागेश्वर प्रसाद साह, तत्का० जेलर, उपकारा बाढ़, जिला-पटना	दो वर्ष की सजा 5,000/-रु० जुर्माना।	29.05.13
49	44/11	जवाहर लाल सिंह, प्र०वि०पदा०, रामनगर, प० चम्पारण (बेतिया)	दो वर्ष की सजा 10,000/-रु० जुर्माना।	28.06.13
50	64/07	जगदीश पंडित (मुखिया), पंचायत-मैराबरीढ, कतरीसराय, गया	दो वर्ष की सजा 5,000/-रु० जुर्माना	25.07.13